

सदस्य

15.1.19

जमावली पंश डूँ, ककील जमी उफर) फकि
 फाकली से सम्बन्धित हल दावे का
 निस्तारण है उका ईस्टाब्लिश फर ५० अडवाइ
 निवेदन का कोई औचित्य नहीं रह जात।
 उक्त फर ५० अडवाइ निवेदन का हल
 दावे का निस्तारण होने से चरणीक
 किया जाता है। जमावली फरमा शुमार एक
 नम्बर से कम है व दाखिल दफतर है।

उपखण्ड अधिकारी
 नवयुवाधी (कान)